

पत्रांक .....

दिनांक .....

प्रेषक,

मुख्य अभियंता  
झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड,  
राँची।

ED

सेवा में,

विश्वनाथ चौधरी,  
प्रो०- विश्वनाथ चौधरी  
पिता- स्व० महाबीर चौधरी  
पता- गोबरदाहा टोला, ग्राम+पोस्ट-भीखही,  
थाना - डंडा जिला- गढ़वा, झारखण्ड-822124।

विषय : गढ़वा जिलान्तर्गत रंका में समेकित एवं सुरक्षित थाना भवन का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं करने के कारण "डिबार" करने के संबंध में।

प्रसंग : कार्यपालक अभियंता, पलामू प्रमण्डल, पलामू का पत्रांक 63(अनु०)दिनांक 04.02.22  
महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा निर्माणाधीन गढ़वा जिलान्तर्गत रंका में समेकित एवं सुरक्षित थाना भवन का निर्माण कार्य प्रदत्त समय सीमा के अंदर समाप्त होना प्रतीत नहीं हो रहा है तथा कार्य की प्रगति आपके द्वारा समर्पित Work Program से काफी पीछे है। बारम्बार पत्राचार के उपरान्त भी आपके द्वारा कार्य को तिव्र गति से करने की अभिरुची नहीं दिखाई जा रही है, कार्य की प्रगति अत्यन्त ही धीमी है।

अतः कालक्रम में कार्यपालक अभियंता के प्रासंगिक पत्र के द्वारा डिबार किये जाने की अनुशंसा एवं प्रतिवेदन की समीक्षा के आधार पर आपके द्वारा ससमय कार्य का निष्पादन नहीं करने का दोषी पाये जाने पर आपके फर्म को अगले आदेश तक निविदा में भाग लेने से वंचित करते हुए डिबार श्रेणी में डाला जाता

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

हस्ता

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक :- ९६/२९०४/२२०

दिनांक :- 15/02/2022

प्रतिलिपि :- सचिव/प्रधान सचिव/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियन्ता पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभा/उर्जा विभाग एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं महाप्रबंधक (वित्त), झा0पु0हा0कॉ0लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

771  
17/2/2022  
JSBCC

मुख्य अभियंता

हस्ता